मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर

सिविल न्यायाधीश वर्ग–2 (प्रवेश स्तर) परीक्षा–2018

विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक :461/परीक्षा/2018 दिनाँक–01/08/2018

आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि	: –	05 अगस्त, 2018 (शनिवार)
आवेदन करने की अंतिम तिथि	: –	04 सितंबर, 2018 रात्रि 11:59 तक
आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु प्रारंभ तिथि	: –	20 अगस्त, 2018 से
आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु अंतिम तिथि	: –	04 सितंबर, 2018 रात्रि 11:59 तक
ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा की तिथि	: –	29 सितंबर, 2018 (शनिवार)
मुख्य परीक्षा की तिथि	: –	बाद में अधिसूचित की जावेगी ।

सिविल न्यायाधीश वर्ग–2 (प्रवेश स्तर–सीधी भर्ती) के रिक्त पदों हेतु MPOnline की वेबसाइट– www.mponline.gov.in के माध्यम से केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

ऑनलाइन आवेदन भरने के निर्देश व विधि नीचे दी गई है । कृपया आवेदक आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक निर्देशों को पढ़ लें। यह विज्ञापन, निर्देश सहित, MPOnline की वेबसाइट– www.mponline.gov.in व म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट– www.mphc.gov.in पर भी उपलब्ध है।

पोर्टल–शुल्क सहित परीक्षा शुल्क –

परीक्षा–शुल्क अनारक्षित वर्ग तथा मध्यप्रदेश राज्य के बाहर के निवासी सभी आवेदकों के लिए MPOnline को देय पोर्टल शुल्क ₹ 600 (छः सौ) सहित कुल ₹ 1000 (एक हजार) तथा मध्यप्रदेश राज्य के निवासी दिव्यांग सहित केवल आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए केवल MPOnline को देय पोर्टल शुल्क ₹ 600 (छः सौ) देय होगा। यदि उक्त राशि से अधिक की मांग की जाती है तो एमपीऑनलाइन के **दूरभाष नंबर 0755–4019400** पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

समस्या का समाधान न होने पर एम.पी. ऑनलाइन वेबसाइट (www.mponline.gov.in) के होम पेज पर जाकर ऑप्शन "सम्पर्क करें" पर क्लिक कर ऑप्शन "शिकायत" का चयन कर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं ।

खण्ड – "अ"

एक – रिक्त पद :

भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारो से म.प्र. शासन विधि और विधायी कार्य विभाग के अन्तर्गत रिक्त कुल–140 सिविल न्यायाधीश (प्रवेश

01/8/18

स्तर) के अस्थायी पदों के लिये निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। पद श्रेणीवार निम्नानुसार है –

(अ)	**अनारक्षित**	–	**70**	**(स)**	**अनुसूचित जाति**	–	**22**
(ब)	**अन्य पिछड़ा वर्ग**	–	**20**	**(द)**	**अनुसूचित जनजाति**	–	**28**

उपरोक्त पदों में से स्थायी दिव्यांग (Specially Abled) अभ्यर्थियों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 में प्रावधानित अनुसार कुल रिक्तियों का 4 प्रतिशत पदों का आरक्षण दिया जाना है, जिनका चयन दिव्यांगों की मेरिट क्रमानुसार किया जाएगा अर्थात् जिस वर्ग का दिव्यांग आवेदक मेरिट क्रम में चयनित होगा उसकी पूर्ति उसी वर्ग के लिए स्वीकृत रिक्त पदों में से की जाएगी (अर्थात् आरक्षण रोस्टर से मुक्त होगा)। म.प्र. न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 के अंतर्गत उक्त प्रावधान से संबंधित आरक्षण संबंधी नियम राज्य शासन द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से बनाये जाने हेतु विचाारधीन हैं । अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र संशोधित नियमों के अध्याधीन होंगे ।

दो –(1) म.प्र. राज्य के बाहर के अजा/अजजा/अपिव के आवेदक आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी 'अनारक्षित' भरें। अजा/अजजा/अपिव के लिए आरक्षित पद केवल म.प्र. के मूल निवासी अजा/अजजा/अपिव के लिए आरक्षित है।

(2) केवल म.प्र. के मूल निवासी जो अजा/अजजा/अपिव के हैं, वे आवेदन पत्र में तद्नुसार अपनी श्रेणी अंकित करें।

(3) अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी का लाभ उन्हीं आवेदकों को प्राप्त होगा जो क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं आते हों।

तीन– (अ)चयनित आवेदकों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

(ब) किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का सूचनापत्र देने पर सेवाएँ समाप्त की जा सकती है।

(स)चयनित आवेदक को अधिकृत मेडीकल बोर्ड से निर्धारित शुल्क अदा कर मेडीकल फिटनेस सर्टीफिकेट पेश करना होगा।

चार – पदों की संख्या परिवर्तनीय रहेगी। पदों की संख्या को चयन प्रक्रिया के दौरान व अंतिम चयन सूची जारी होने तक, किसी भी स्तर पर कम या ज्यादा किया जा सकता है । अंतिम चयन के पूर्व किसी भी चरण में ऐसी रिक्तियाँ इस विज्ञापन के अन्तर्गत शुद्धि पत्र द्वारा प्रकाशित की जाएँगी परन्तु ऐसे अतिरिक्त पदों के लिये पृथक से आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किये जाएँगें तथा इस विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों के आवेदक ही पात्र रहेंगे।

पाँच –पद का विवरण – सिविल न्यायाधीश वर्ग–2 (प्रवेश स्तर)

(क) **श्रेणी** – राजपत्रित द्वितीय श्रेणी।

(ख) **वेतनमान**– रू. 27700–770–33090–920–40450–1080–44770 एवं प्रचलित दर अनुसार मंहगाई भत्ता व अन्य भत्ते।

01/8/18

छः – **आवश्यक अर्हता** – कोई भी व्यक्ति सिविल न्यायाधीश वर्ग – 2 (प्रवेश स्तर सीधी भर्ती) के पद के लिए अर्ह तभी होगा जब कि वह–

(1) भारत का नागरिक हो ।

(2) आयु सीमा 1 जनवरी 2019 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 35 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

उच्चतम आयु सीमा में छूट –

(क) म.प्र. के मूल निवासी जो कि म.प्र. के लिये अधिसूचित अजा/अजजा/अपिव के हैं, उन्हें उच्चतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(ख) म.प्र. शासन के समस्त श्रेणी के स्थायी या अस्थायी शासकीय कर्मचारियों (जिनमें महिला कर्मचारी भी शामिल हैं) के लिए उच्चतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जावेगी।

(ग) दिव्यांग आवेदकों को भी उच्चतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिव्यांग आवेदक को आवेदन करने की तारीख को 40 % या अधिक की दिव्यांगता होने पर प्राप्त होगा।

नोट 1– ऐसे सभी आवेदक जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें अनारक्षित श्रेणी में ही माना जावेगा और वे आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी अनारक्षित ही भरें और उसी अनुसार परीक्षा शुल्क भी देय होगा और उन्हें अजा, अजजा एवं अपिव श्रेणी का कोई लाभ नहीं मिलेगा।

2– उच्चतम आयु सीमा में छूट का लाभ आवेदक द्वारा तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जाएगा।

(घ) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त कर ली हो और उसका अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका हो और उनके पास आवश्यक दस्तावेज उस दिन को मौजूद हों ।

(ङ) वह अच्छा चरित्र रखता हो तथा अच्छे स्वास्थ्य वाला हो तथा किसी भी ऐसे शारीरिक कमी वाला ना हो जो उसे ऐसी नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त करता हो।

(च) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम, 6 के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो :–

(अ) पुरूष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों । इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी

01/8/18

पहले से ही एक पत्नी जीवित हो । ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है, तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है ।

(ब) जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाया जाए ।

(स) जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो ।

(द) जिसकी दो से अधिक संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है परंतु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है ।

नोट 1– यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को आवेदन करने की अंतिम तिथि तक पूरा करता है। अतः आवश्यक अर्हता प्राप्त आवेदक ही आवेदन करें। आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त किसी भी अर्हता को विज्ञापित पद के लिये मान्य नहीं किया जायेगा। परीक्षा में प्रवेश देने अथवा साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र, बिना पूर्व सूचना के, निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी तथा इस सम्बन्ध में आवेदन/अभ्यावेदन संक्षिप्ततः निरस्त कर दिये जावेंगे।

2– यदि किसी अभ्यर्थी ने अपनी योग्यता, जन्मतिथि, अर्हता अथवा आरक्षण से सम्बन्धित या अन्य कोई जानकारी जो परीक्षा या चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय ऑनलाइन आवेदन या आवेदन पत्र या दस्तावेज में चाही गयी है, से सम्बन्धित गलत जानकारी दिया है तो किसी भी समय उसे संज्ञान में आने पर तत्काल उसकी अभ्यर्थिता बिना कोई कारण बताये निरस्त कर दी जायेगी और उसे परीक्षा के आगे के चरण में भाग लेने का अधिकार नहीं रहेगा ।

सात – अनर्हताएँ –

निम्नलिखित मामलों में, उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिये उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये विवर्जित कर दिया जाएगा :–

01/8/18